न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 60 / 2022 (Bank Case)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका पंजीकृत कार्यालय– 9th फ्लोर, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र–400021 एवं क्षेत्रीय कार्यालय– सिविल लाइंस, नयापुरा, कोटा एवं शाखा कार्यालय– आर्य समाज रोड, कोटा में स्थित व कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कच्छवाह।

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमती रेशमा शकील (ऋणी / बंधककर्ता)
   पताः मकान नं. 10, सूर्य नगर ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील– लाडपुरा, जिला–कोटा
2. श्री शकील दीवान
   पताः मकान नं. 10, सूर्य नगर ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील– लाडपुरा, जिला–कोटा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 23-05-2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका पंजीकृत कार्यालय– 9th फ्लोर, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र–400021 एवं क्षेत्रीय कार्यालय– सिविल लाइंस, नयापुरा, कोटा एवं शाखा कार्यालय– आर्य समाज रोड, कोटा में स्थित व कार्यरत है, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.03.2019 को जरिये खाता संख्या 4034588209 में रूपये 20,27,000 /– (अक्षरेः रूपये बीस लाख सत्ताईस हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्रीमती रेशमा शकील की आवासीय बंधक अचल सम्पत्ति मकान नं. 10, (दक्षिणी भाग) सूर्य नगर ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा पर स्थित है। जिसमें भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 625 वर्ग फीट है। जो जरिये विक्रय पत्र दिनांक 05.04.2019 से श्रीमती रेशमा शकील पत्नि श्री शकील दीवान के नाम है। चतुर्थ सीमा– पूर्व में– प्लॉट नं. 84, पश्चिम में– 20 फीट रोड, उत्तर में– प्लॉट नं. 10 का शेष** भाग, **दक्षिण में– प्लॉट नं. 11,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 29.01.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के खाते में बकाया रूपये 22,68,460 रूपये (अक्षरेः– बाईस लाख अडषठ हजार चार सौ साठ रूपये मात्र।) दिनांक 27.07.2021 तक व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 27.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 27.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 27.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **श्रीमती रेशमा शकील की आवासीय बंधक अचल सम्पत्ति मकान नं. 10, (दक्षिणी भाग) सूर्य नगर ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा पर स्थित है। जिसमें भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 625 वर्ग फीट है। जो जरिये विक्रय पत्र दिनांक 05.04.2019 से श्रीमती रेशमा शकील पत्नि श्री शकील दीवान के नाम है। चतुर्थ सीमा– पूर्व में– प्लॉट नं. 84, पश्चिम में– 20 फीट रोड, उत्तर में– प्लॉट नं. 10 का शेष भाग, दक्षिण में– प्लॉट नं. 11,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 23.05..2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)